महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न कानून पर व्याख्यान

व्याख्यान में मौजूद विद्यार्थी एवं प्राचार्या डा. उर्मिला सहित अन्य। ● पीआरओ

जासं, हिसार : छाजूराम शिक्षण कालेज में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न कानून पर व्याख्यान का आयोजन हुआ। इस दौरान लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम, निषेध व निवारण कानून के प्रशिक्षक कुलबीर सिंह ने इस कानून की आवश्यकता, महत्ता व क्षेत्र पर प्रकाश डाला। प्राचार्या डा. उर्मिला मलिक ने कहा कि कभी भी किसी की झूठी शिकायत नहीं करनी है। यदि वास्तविक रूप से कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित होती है तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का परिचय देते हुए उस स्थिति में उचित कार्यवाही जरूर करनी है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि आपके संपर्क में आने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी आप इस कानून के प्रति जागृत करें। आयोजन में डा. पूनम, डा. मोनिका उपस्थित रही।

Dainik Jagran19.10.23

छाजूराम शिक्षण कॉलेज में व्याख्यान आयोजित 18.11.23

कार्यक्रम के बाद उपस्थित विद्यार्थी व स्टाफ।

सिटी पल्स न्यूज, हिसार। छाजूराम शिक्षण महाविद्यालय, हिसार में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न' कानून पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लैंगिक उत्पीड़न-रोकथाम, निषेध व निवारण कानून के प्रशिक्षक कुलबीर सिंह ने इस कानून की आवश्यकता, महत्ता व क्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सरल भाषा में इस कानून की विभिन्न धाराओं से विद्यार्थियों को अवगत करवाया। महाविद्यालय प्राचार्या डॉ उर्मिला मलिक ने वक्ता का अभिवादन किया व विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि कभी भी किसी की झूठी शिकायत नहीं करनी है व यदि वास्तविक रूप से कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित होती है तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का परिचय देते हुए उस स्थिति में उचित कार्यवाही जरूर करनी है। प्राचार्य ने विद्यार्थीयों से आग्रह किया कि आपके संपर्क में आने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी आप इस कानून के प्रति जागृत करें व संवेदनशील बनाएं। अंत में डॉ अजीत ने धन्यवाद किया। इस अवसर पर डॉ पूनम, डॉ मोनिका उपस्थित रहीं।

लैंगिक उत्पीड़न निषेध व निवारण पर व्याख्यान

हिसार| छाजूराम शिक्षण महाविद्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न कानून पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लैंगिक उत्पीड़न- रोकथाम, निषेध व निवारण कानून के प्रशिक्षक कुलबीर सिंह ने इस कानून की आवश्यकता, महत्ता व क्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। महाविद्यालय प्राचार्या डॉ. उर्मिला मलिक ने कहा कि कभी भी किसी की झूठी शिकायत नहीं करनी है। यदि वास्तविक रूप से कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित होती है तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का परिचय देते हुए उस स्थिति में उचित कार्यवाही जरूर करनी है। अंत में डॉ. अजीत ने धन्यवाद किया। इस अवसर पर डॉ. पूनम, डॉ. मोनिका उपस्थित रही।

Bhaskar 19.11.23

छाजूराम शिक्षण महाविद्यालय में लैंगिक उत्पीड़न निषेध व निवारण पर व्याख्यान

पाठकपक्ष न्यूज 2023

हिसार, 19 नवम्बर : छाजूराम शिक्षण महाविद्यालय, हिसार में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न' कानून पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लैंगिक उत्पीड़न- रोकथाम, निषेध व निवारण कानून के प्रशिक्षक श्री कुलबीर सिंह ने इस कानून की आवश्यकता, महत्ता व क्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सरल भाषा में इस कानून की विभिन्न धाराओं से विद्यार्थियों को अवगत करवाया। महाविद्यालय प्राचार्या डॉ उर्मिला मलिक ने वक्ता का अभिवादन किया व विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि कभी भी किसी की झूठी शिकायत नहीं करनी है व यदि वास्तविक रूप से कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित होती है तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का परिचय देते हुए उस स्थिति में उचित कार्यवाही जरूर करनी है। प्राचार्य ने विद्यार्थीयों से आग्रह किया कि आपके संपर्क में आने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी आप इस कानून के प्रति जागृत करें व संवेदनशील बनाएं। अंत में डॉ अजीत ने धन्यवाद किया। इस अवसर पर डॉ पूनम, डॉ मोनिका उपस्थित रहीं।

लैंगिक उत्पीड़न निषेध व निवारण पर व्याख्यान

हरिभूमि न्यूज ▶▶| हिसार

छाजूराम शिक्षण महाविद्यालय में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न' कानून पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लैंगिक उत्पीड़न-रोकथाम, निषेध व निवारण कानून के प्रशिक्षक कुलबीर सिंह ने इस कानून की आवश्यकता, महत्ता व क्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सरल भाषा में इस कानून की विभिन्न धाराओं से विद्यार्थियों को अवगत करवाया। महाविद्यालय प्राचार्या डॉ. उर्मिला मलिक ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि कभी भी किसी की झूठी शिकायत नहीं करनी है व यदि वास्तविक रूप से कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित होती है तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का परिचय देते हुए उस स्थिति में उचित कार्रवाई जरूर करनी है। प्राचार्या ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि आपके संपर्क में आने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी आप इस कानून के प्रति जागृत करें व संवेदनशील बनाएं। इस मौके पर डॉ. अजीत, डॉ. पूनम व डॉ. मोनिका उपस्थित रहीं।

हिसार। व्याख्यान के बाद उपस्थित मुख्य वक्ता कुलबीर सिंह, प्राचार्या डॉ. उर्मिल मलिक व अन्य। फोटो : हरिभूमि

Hari Bhumi 19.11.23

लैंगिक उत्पीड़न को लेकर किया जागरूक

हिसार। छाजूराम शिक्षण महाविद्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न कानून पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कानून विशेषज्ञ कुलबीर सिंह ने लैंगिक उत्पीड़न-रोकथाम, निषेध व निवारण कानून की आवश्यकता, महत्ता व क्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। उदाहरणों के माध्यम से सरल भाषा में इस कानून की विभिन्न धाराओं से विद्यार्थियों को अवगत करवाया। प्राचार्य डॉ. उर्मिला मलिक ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि कभी भी किसी की झूठी शिकायत नहीं करनी चाहिए। यदि वास्तविक रूप से कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित होती है तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का परिचय देते हुए उस स्थिति में उचित कार्रवाई जरूर करनी है। अपने संपर्क में आने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी आप इस कानून के प्रति जागृत करें व संवेदनशील बनाएं। अंत में डॉ. अजीत ने धन्यवाद किया। इस अवसर पर डॉ. पूनम. डॉ. मोनिका उपस्थित रहीं। ब्यूरो

Hisar Amar Ujala 19.11.23

छाजू राम शिक्षण महाविद्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न कानून पर व्याख्यान का आयोजन

Panch Baje
18.11.23

हिसार। छाजूराम शिक्षण महाविद्यालय, हिसार में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न कानून विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लैंगिक उत्पीड़न- रोकथाम, निषेध व निवारण कानून के प्रशिक्षक कुलबीर सिंह ने इस कानून की आवश्यकता, महत्ता व क्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सरल भाषा में इस कानून की विभिन्न धाराओं से विद्यार्थियों को अवगत करवाया। महाविद्यालय प्राचार्या डॉ उर्मिला मलिक ने वक्ता का अभिवादन किया व विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि कभी भी किसी की झूठी शिकायत नहीं करनी है व यदि वास्तविक रूप से कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित होती है तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का परिचय देते हुए उस स्थिति में उचित कार्यवाही जरूर करनी है। प्राचार्या ने विद्यार्थीयों से आग्रह किया कि आपके संपर्क में आने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी आप इस कानून के प्रति जागृत करें व संवेदनशील बनाएं। अंत में डॉ. अजीत ने धन्यवाद किया। इस अवसर पर डॉ पूनम , डॉ मोनिका उपस्थित रहीं।